

(66)

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-4/निवे०-सी०एस०एस०-61-25/07- 113

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 24.03.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को मेधा उन्नयन योजना के तहत कुल रु० 7.02 (सात लाख दो हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश स्वीकृत।

2- कुल भारत व्यय राशि वत्समान वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक योजना बजट मद में शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0218 अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम-विषय शीर्ष-3401 छात्रवृत्ति / वजीफा (मॉड संख्या-44) विपत्र कोड P2225012770218 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकल्पनीय है।

3- इस स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना होंगे।

4- इस योजना के तहत राशि का व्यय केन्द्र सरकार के पत्रांक-11016/13/2006-एस०डी०डी०-1 दिनांक-02.09.2011 (प्रति संलग्न) के द्वारा भेजे गए दिया-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

5- वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निर्देशों के आलोक में किया जायेगा।

6- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

7- वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि के तहत धरियनित छात्र/छात्राओं की सूची एवं पूर्ण राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को स्थापना विभाग को भेजा जाय।

8- इस राशि की स्वीकृति के अस्तित्व में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/निवे०-सी०एस०एस०-61-25/07- 113

पटना, दिनांक- 24.03.17

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/निवेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग विभाग, बिहार, /उप सचिव, (प्रभारी बजट शाखा), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग विभाग, बिहार, /प्रमंडलीय आयुक्त, प्रमंडल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/प्रमंडलीय उप निवेशक कल्याण, पटना/जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/सहायक निवेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।